कार्यालय वनमण्डलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ (छत्तीसगढ़)

e-mail :- divisionmanendragarh@rediffmail.com, Ph. 07771-241349, Fax 243731

क्रं./स्था.ले./2018/ 2163 मनेन्द्रगढ़/दिनाँक 17/12/2018

// विज्ञापन //

छत्तीसगढ़ वन विभाग के सरगुजा वनवृत्त अंतर्गत विभिन्न वनमंडल, गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुन्ठपुर तथा एलीफेंट रिजर्व, सरगुजा में वनरक्षक के रिक्त पदों की सीधी भर्ती के लिए योग्य उम्मीद्वारों से आवेदन दिनांक 18.12.2018 से दिनांक 11.01.2019 शाम 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र वनमण्डलाधिकारी, मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल मनेन्द्रगढ़, जे.के.डी. रोड, मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (छ. ग.) पिन नं. 497442 के कार्यालय में जमा किया जाना है। इन पदों हेतु वनमण्डलाधिकारी, मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल द्वारा चयन तथा तालिका के कॉलम 02 में दर्शित भारसाधक प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति की जायेगी।

वनरक्षक की सीधी भर्ती हेतु आबंटित पदों की वनमंडलवार सूची निम्नानुसार है –

क्र.	वनमण्डल का नाम	जिले का नाम	अनारक्षित			अ.पि.वर्ग			अ.जा.			अ.ज.जा.			कुल पद
			मुक्त	महिला	खेल कोटा / भू0पू0 सैनिक	मुक्त	महिला	खेल कोटा / भू0पू0 सैनिक	मुक्त	महिला	खेल कोटा / भू0पू0 सैनिक	मुक्त	महिला	खेल कोटा / भू0पू0 सैनिक	
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20
1	सूरजपुर	सूरजपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
3	बलरामपुर	बलरामपुर	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4	कोरिया	कोरिया	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	4
5	मनेन्द्रगढ़	कोरिया	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	4
6	जशपुर	जशपुर	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3
7	गु.घा.दा. रा.उ. बैकुन्ठपुर	कोरिया	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3
8	उप निदेशक, एलिफेंट रिजर्व, सरगुजा	सूरजपुर	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		बलरामपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		सूरजपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	योग :–		8	-	-	4	-	-	1	-	-	8	-	-	21

टीप–

(1) पदों की संख्या में वर्गवार कमी या वृद्धि हो सकती है। चयन/नियुक्ति के समय वास्तविक रिक्तियों के विरूद्ध चयन/नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी तथा भर्ती प्रकिया अनुसार 25 प्रतिशत पदों की प्रतीक्षा सूची में से प्रथम जारी नियुक्ति आदेश के आवेदकों के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उक्त पद के विरूद्ध रिक्त होने वाले पदों पर प्रतीक्षा सूची में चयनित उम्मीद्वारों की नियुक्ति की जावेगी।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु पदों का निर्धारण शासन द्वारा निर्धारित जिला स्तरीय सीधी भर्ती के आरक्षण रोस्टर के अनुसार है।

(3) छ.ग. शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 03–18/2013/10–1/वन दिनांक 26.4.2017 द्वारा भर्ती वर्ष 2017 एवं 2018 के लिए वनरक्षक भर्ती में महिला आरक्षण 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के पत्र क्रमांक–एफ 13–2/2012/आ.प्र./1–3 रायपुर दिनांक 25.02.2015 अनुसार वनरक्षक भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है एवं छ.ग. तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम 2012 एवं संशोधन दिनांक 04.08.2014 द्वारा वनरक्षक भर्ती में खिलाड़ियों के लिये आरक्षण 5% निर्धारित किया गया है।

(4) वनरक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु की जाने वाली नियुक्तियां माननीय न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्ययीन रहेगी।

(5) रिक्त पद निर्धारित अर्हता आवेदन का प्रारूप तथा अन्य संबंधित जानकारी वन विभाग की वेबसाईड www.cgforest.nic.in /www.cgforest.com पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थियों कृपया इसका भलीभांति अध्ययन कर ही आवेदन पत्र भरे।

(6) वनरक्षक भर्ती में समय–समय पर की गई कार्यवाही भी उक्त वेबसाईड पर समय–समय पर अपलोड किया जायेगा। अतः अभ्यार्थियों द्वारा समय–समय पर अद्यतन जानकारी के लिए अवलोकन करते रहें।

वनमण्डलाधिकारी
मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल मनेन्द्रगढ़

शैक्षणिक, तकनीकी अर्हताओं तथा वेतनमान का विवरण

(1) **आवेदन पत्रः—** छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम—2012 अनुसार वनरक्षक हेतु निर्धारित उम्र, शैक्षणिक एवं शारीरिक अर्हताओं के आधार पर वनरक्षकों की सीधी भर्ती हेतु आवेदन विज्ञापन के माध्यम से संबंधित वनमंडलाधिकारी के कार्यालय मे निर्धारित तिथि तक प्राप्त किए जायेगें।

(1) **वेतन—** **रू.19500—62000 (लेवल—4) (प्रारंभिक वेतन — रू.19500)**

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं—** मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकण्डरी परीक्षा (10+ 2) उर्त्तीण।

(3) **शारीरिक अर्हताएं—**

(3.1) वनरक्षक पद के लिये न्यूनतम शारीरिक प्रमाप (स्टेण्डर्ड) निम्नानुसार होगा :—

शारीरिक माप	पुरूष अभ्यार्थी	महिला अभ्यार्थी
ऊंचाई (अनुसुचित जाति/जनजाति संवर्ग हेतु)	152 से.मी.	145 से.मी.
ऊंचाई (अन्य संवर्ग हेतु)	163 से.मी.	150 से.मी.
सीना सामान्य (समस्त वर्ग)	79 से.मी. (न्यूनतम)	—
सीने का फुलाव (समस्त वर्ग)	05 से.मी.(न्यूनतम)	—

(3.2) अन्य अर्हता — पैदल चाल :—

1. **पुरूष** — 25 किलोमीटर 04 घण्टे में पूर्ण करना आवश्यक।
2. **महिला** — 14 किलोमीटर 04 घण्टे में पूर्ण करना आवश्यक ।

(4) **आयु सीमा :—**

दिनांक 01/01/2019 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। शासन के नियमों व शर्तो के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट रहेगी।

छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर के क्रमांक/एफ 3—2/2015/1—3 रायपुर दिनांक 23..01. 2017 द्वारा छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासियों के लिये अधिकतम् आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट दी जाकर अधिकतम् आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। विशेष वर्गो के लिये अधिकतम् आयु सीमा में देय अन्य छूट यथावत लागू रहेगी, किन्तु ऐसी छूट को मिलाकर अधिकतम् आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(5) **चयन परीक्षा :—**

आवेदन पत्रों की जांच पश्चात् शासन द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया संलग्न से गुजरना होगा। पात्र अभ्यार्थियों को मूल प्रमाण पत्र सत्यापन तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जावेगा, जिसके लिए तिथि निर्धारित समय सारणी में दर्शित है, तिथि में संशोधन होने पर सूचना पृथक से भेजी जावेगी। यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

एक समान कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की परस्पर वरिष्ठता उनकी जन्मतिथि के आधार पर निश्चित की जायेगी। अधिक आयु वाले उम्मीदवार को वरिष्ठ माना जायेगा। यदि प्राप्तांक व जन्मतिथि समान हो तो उम्मीदवारों की हायर सेकण्डरी परीक्षा (10+2) के प्राप्तांकों के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी। चयनित सूची के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी किये जायेगें।

निर्धारित मापदण्ड के आधार पर पूर्ण रूप से स्वस्थ्य होने पर ही उम्मीदवार की नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा। सेवा में उपस्थिति लेने से पूर्व उम्मीदवारों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा। उपस्थिति उपरांत चरित्र सत्यापन की कार्यवाही की जायेगी। चरित्र सत्यापन में कोई विपरीत टीप होन पर सेवा में बने रहने की पात्रता नहीं होगी, ऐसे चयनित उम्मीदवारों का नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

यदि कोई चयनित उम्मीदवार जिसे परीवीक्षा पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है, दिये गये दिनांक तक निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित नहीं होता है तो उसकी नियुक्ति निरस्त कर प्रवीण्य सूची के अगले क्रम पर उपलब्ध उम्मीदवार को नियुक्ति दी जायेगी।

(6) **परीक्षा केन्द्र :–**

परीक्षा केन्द्र की सूचना पृथक से दी जायेगी।

(7) **निवासी :–**

छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रायल रायपुर दिनांक 25.02.2017 अनुसार सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते है। उम्मीदवार को संबंधित जिले का निवासी होना अनिवार्य है।

(8) **जाति प्रमाण :–**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को जाति प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये हों, संलग्न कराना अनिवार्य है।

(9) **भर्ती प्रकिया: –**

(9.1.1) **आवेदन पत्रों की जांच** – आवेदकों से निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच एवं छानबीन करते हुए समस्त निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले आवेदकों की वर्गवार सूचियां न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा में प्राप्तांकों के गुणानुक्रम में तैयार की जायेगी। भर्ती हेतु उपलब्ध वर्गवार कुल रिक्त पदों की संख्या के 15 गुना आवेदकों को प्रावीण्यता के आधार पर शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा की आगामी चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा। सभी आवेदकों से यह जानकारी भी ली जायेगी कि उनके द्वारा किसी वनमण्डल में नियुक्ति हेतु आवेदन दिया गया है अथवा नहीं। यदि इस जानकारी में अन्य वनमण्डलों में आवेदन देने की जानकारी पाई जाती है तो उतनी ही संख्या में अधिक उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा ताकि निर्धारित संख्या में उम्मीदवार शामिल हो सके एवं स्वस्थ्य स्पर्धा हो सके।

(9.1.2) राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके उम्मीदवारों के संबंध में केवल न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करने का ही प्रावधान रहेगा, प्राप्तांकों का बंधन नहीं रहेगा।

(9.2) शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा पात्र अभ्यर्थियों को आयु एवं शैक्षणिक योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु मूलप्रति के साथ निर्धारित तिथि एवं स्थान में उपस्थित होना आवश्यक है। अभिलेख परीक्षण उपरांत पात्र उम्मीदवारों को ही शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा। शारीरिक नापजोख के पूर्व उम्मीदवार के फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठा का निशान लिया जायेगा।

(9.3) शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व पात्र अभ्यार्थी सर्टिफिकेट वेरीफिकेशन के लिये निम्न मूल प्रमाण पत्र साथ में लेकर आवें। (शैक्षणिक/ योग्यता/ जन्म तिथि प्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, किमीलेयर न होने संबंधित प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रणाम पत्र) अभिलेख

परीक्षण उपरांत पात्र उम्मीदवारों को ही शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा।

(9.4) पात्र अभ्यार्थी अपने समस्त प्रमाण पत्रों 01 सेट छायाप्रति एवं स्वयं का दो पासपोर्ट साईज फोटो एवं आधार कार्ड अपने साथ लेकर आवें।

(9.5) शारीरिक नापजोख–

उपरोक्तानुसार चयनित उम्मीदवारों का शारीरिक नापजोख (ऑखों की दृष्टि एवं ऑखों से संबंधित अन्य जांच को छोड़कर किया जायेगा। शारीरिक नापजोख में विवाद की दशा में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

(9.6) शारीरिक दक्षता परीक्षा– उपरोक्तानुसार योग्य सभी उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 60 अंकों की होगी और इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाएं सम्मिलित होंगी।

क) 200 मीटर दौड़ – 15 अंक

ख) 800 मीटर दौड़ – 15 अंक

ग) लम्बी कूद – 15 अंक

घ) गोला फेक – 15 अंक

आइटम 'क' से 'घ' तक की स्पर्धा के लिए दिये जाने वाले अंकों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: –

प्रतिस्पर्धा	पुरूषों के लिए		महिलाओं के लिए	
	समय/नाप	अंक	समय/नाप	अंक
200 मीटर दौड़ (1 प्रयास)	24.50 सेकण्ड से कम	15	28.50 सेकण्ड से कम	15
	25.50 सेकण्ड से कम	12	30.50 सेकण्ड से कम	12
	27.00 सेकण्ड से कम	9	31.50 सेकण्ड से कम	9
	28.50 सेकण्ड से कम	6	33.00 सेकण्ड से कम	6
	30.00 सेकण्ड से कम	3	34.50 सेकण्ड से कम	3
	30.00 सेकण्ड से अधिक	0	34.50 सेकण्ड से अधिक	0
800 मीटर दौड़ (1 प्रयास)	2 मिनट 10 सेकण्ड से कम	15	3 मिनट से कम	15
	2 मिनट 20 सेकण्ड से कम	12	3 मिनट 10 सेकण्ड से कम	12
	2 मिनट 30 सेकण्ड से कम	9	3 मिनट 25 सेकण्ड से कम	9
	2 मिनट 45 सेकण्ड से कम	6	3 मिनट 40 सेकण्ड से कम	6
	3 मिनट तक	3	4 मिनट तक	3
	3 मिनट से अधिक	0	4 मिनट से अधिक	0
लंबी कूद (3 प्रयास)	5.50 मीटर या अधिक	15	4.25 मीटर या अधिक	15
	5.25 मीटर तक	12	4 मीटर तक	12
	4.75 मीटर तक	9	3.50 मीटर तक	9
	4.25 मीटर तक	6	3 मीटर तक	6
	3.75 मीटर तक	3	2.50 मीटर तक	3
	3.75 मीटर से कम	0	2.50 मीटर से कम	0
गोला फेक (3 प्रयास) गोले का वजन– पुरूष – 7.62 किलो महिला– 4 किलो	9 मीटर या अधिक	15	8 मीटर या अधिक	15
	8 मीटर तक	12	7 मीटर तक	12
	7 मीटर तक	9	6 मीटर तक	9
	6 मीटर तक	6	5 मीटर तक	6
	5 मीटर तक	3	4 मीटर तक	3
	5 मीटर से कम	0	4 मीटर से कम	0

अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सभी प्रतिस्पर्धाओं हेतु अभ्यर्थियों को ऊपद दर्शित अनुसार ही अवसर प्रदान किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य पर्याप्त रोशनी की अवस्था में करायी जायेगी। रात्रि अथवा कृत्रिम प्रकाश में यह परीक्षा नहीं कराई जायेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

(9.7) **बोनस अंक**– उम्मीदवार को नीचे उल्लेखित शीर्ष की विशेष योग्यता हेतु प्रत्येक शीर्ष में 5 बोनस अंक दिये जायेंगे। विशेष योग्यता के बोनस अंक कुल मिलाकर 10 से अधिक नहीं होंगे।

(9.7.1) **एन.सी.सी. के "सी" सर्टिफिकेट का न्यूनतम "बी" ग्रेड** का प्रमाणपत्रधारी।

(9.7.2) **राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता** – केवल ओलंपिक एवं एशियाई खेलो की सूची में शामिल खेलो की अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताएं जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है, कि :–

क) टीम स्पर्धा में केवल **विजेता एवं उप विजेता** एवं

ख) व्यक्तिगत स्पर्धा में **प्रथम तीन स्थान** प्राप्त खिलाड़ियों को ही बोनस अंक की पात्रता होगी।

(10) **चयन सूची**– चयन सूची निम्नानुसार अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी: –

क) **हायर सेकेण्डरी परीक्षा (निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता) में प्राप्तांकों के आधार पर अधिकतम – 40 अंक** अभ्यर्थी को हायर सेकेण्डरी परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों को 40 अंक के प्रतिशत अनुपात में अंक प्रदाय किये जायेंगे।

उदाहरणत :– 100 प्रतिशत अंक के लिए – 40 अंक
80 प्रतिशत अंक के लिए – 32 अंक
50 प्रतिशत अंक के लिए – 20 अंक

ख) शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कुल 60 अंक में से प्राप्त अंक

ग) बोनस अंक

सर्वप्रथम सभी वर्गो के प्रतियोगियों में से अनारक्षित पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जायेगी। इस सूची में आरक्षिम वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के वे उम्मीदवार भी शामिल होगें जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं अनारक्षित पदों के लिए सभी योग्यता भी पूरी करते हैं। शेष उम्मीदवारों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ वर्ग के उम्मीदवारों की उनके अपने–अपने जातिवर्ग के लिए विज्ञापित आरक्षित पदों के लिए पृथक–पृथक सूची बनाई जायोगी। रिक्त पदों के अतिरिक्त आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए रिक्त पदों के 25 प्रतिशत उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची भी बनायी जायेगी। जो कि चयन सूची जारी होने के दिनांक से **एक वर्ष की कालावधि** तक विधिमान्य होगी।

11) **राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता प्रमाण पत्र प्राप्त उम्मीदवारों की चयन सूची**– राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद में प्रवीणता वाले उम्मीदवारों हेतु पदों की संख्या पृथक से विज्ञापित की जायेगी, जो स्वीकृत पदों के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। औलंपिक एशियार्ड खेल एवं अखिल भारतीय वन खेल से संबंधित जिस खेल विद्या में वनरक्षकों की नियुक्ति की कार्यवाही की जाना है, उसका विज्ञापन में उल्लेख भी किया जायेगा तथा उस विधा के खिलाड़ियों के साथ खुली स्पर्धा में परीक्षण प्रतियोगिता खेल विशेषज्ञों के निर्देशन में कराई जायेगी तथा विशेषज्ञ की अनुशंसा पर चयन क्रम का निर्धारण किया जायेगा।

भर्ती नियमों में प्रावधान के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र पैदल चाल परीक्षण एवं शारीरिक नापजोख में निर्धारित मापदण्ड को पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

(12) **पैदल चालन परीक्षा**– प्रवीणता सूची के उम्मीदवारों को पैदल चालन परीक्षा देनी होगी। पुरूष उम्मीदवार को 4 घंटे में 25 किलोमीटर तथा महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी करनी होगी। इस परीक्षा के लिए कोई अंक नहीं होंगे। समस्त उम्मीदवारों को पैदल चालन निर्धारित समय पूरा करना अनिवार्य होगा। पैदल चालन परीक्षा हेतु केवल एक अवसर दिया जायेगा। अपरिहार्य कारणों से यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित तिथि एवं समय पर पैदल चाल परीक्षा में उपस्थित नहीं होता है तो पूर्व सूचना देने की स्थिति में मुख्य वनसंरक्षक द्वारा अनुपस्थिति के कारण के गुणदोष के आधार पर इस परीक्षा हेतु अन्य अवसर दिया जा सकेगा।

(13) पैदल चालन परीक्षा में सफल उम्मीद्वारों को सीधी भर्ती के लिए अंतिम प्राविण्यता (गुणा गुण) सूची: –

क) हायर सेकण्डरी (निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता) में प्राप्तांकों का वेटेज– 40 अंक

ख) शारीरिक दक्षता परीक्षा – 60 अंक

ग) बोनस अंक के आधार पर तैयार की जायेगी।

(14) भू0पू0 सैनिक के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है। इस हेतु आवश्यक मूल अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(15) **नियम एवं शर्तें :–**

15.1 पदों की संभावित रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है ।

15.2 छ.ग. के किसी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है । रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करना आवश्यक है ।

15.3 अपूर्ण , अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं इस संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

15.4 आवेदन करने के अंतिम तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है। आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरतें, बाद में अभ्यर्थी के द्वारा जन्म तिथि, वर्ग, विषय आदि में परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

15.5 कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

15.6 कोई भी पुरूष उम्मीद्वार जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों, और कोई भी महिला उम्मीद्वार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

15.7 अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

15.8 कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, इनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा ।

15.9 पात्रता के लिये अन्य नियम एवं शर्तें छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय – समय पर

जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।

15.10 रिक्त पद, निर्धारित अर्हता, चयन प्रक्रिया तथा अन्य संबंधित जानकारी वन विभाग की वेबसाइड www.cgforest.com पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में अभ्यर्थियों को पत्र प्रेषित नहीं किया जावेगा। अतः अभ्यर्थी www.cgforest.com का निरंतर अवलोकन करते रहें।

15.11 आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे । चयन की किसी भी स्तर पर आवेदक को अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी, इसके लिए किसी भी प्रकार की पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।

15.12 विज्ञापन में तथ्यात्मक/लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत सूचना प्रकाशित होगी । ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नही होगा ।

15.13 चयन के संबंध में नियुक्तिकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

15.14 यदि किसी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से पद रिक्त रह जाते है, तो ऐसे रिक्त पद अग्रणित नहीं किये जायेंगे। अपितु उसी वर्ग के पुरूष उम्मीद्वार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे, जिस वर्ग के लिए वह आरक्षित है।

15.15 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण – पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

15.16 कोई भी उम्मीदवार जिसके पास एन.सी.सी.''**सी**'' सर्टिफिकेट (न्यूनतम बी ग्रेड का प्रमाण पत्र धारी) एवं खेल कूद में प्रवीणता प्रमाण –पत्र हो तो उसका उल्लेख आवेदन पत्र पर अवश्य करें।

वनमण्डलाधिकारी
मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल मनेन्द्रगढ़

परिशिष्टि – 01

दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करने वाले अभिलेख

1. हाई स्कूल प्रमाण–पत्र की मूल एवं छायाप्रति।
2. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण–पत्र एवं हायर सेकेण्ड्री (10+2) की अंक सूची की मूल प्रति एवं छायाप्रति।
3. खेलकूद प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति।
4. एन0सी0सी0 सर्टिफिकेट प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति।
5. जाति प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति।
6. मूल निवास प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति।
7. रोजगार कार्यालय को पंजीयन प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति।
8. जन्मतिथि प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति।
9. क्रिमीलेयर न होने संबंधी प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति।
10. भू0पू0 सैनिक (यदि हो तो) सेवा अवधि, सेवा निवृत्त तथा अन्य मूल अभिलेख एवं छायाप्रति।
11. अन्य आवश्यक अभिलेख एवं छायाप्रति।

वनमण्डलाधिकारी
मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल मनेन्द्रगढ़

परिशिष्टि–02

वनरक्षक सीधी भर्ती हेतु भर्ती प्रकिया का अनुमानित समय सारणी

क्र.	विवरण	दिनांक
1	2	3
01	विज्ञापन जारी करने का दिनांक	17.12.2018
02	आवेदन पत्र मंगाने की तिथि	18.12.2018 से 11.01.2019 तक
03	प्राप्त आवेदन पत्र जांच उपरांत पात्र/अपात्र की सूची जारी करने की तिथि	22.01.2019
04	प्राप्त आवेदन पत्र जांच उपरांत पात्र/अपात्र की सूची अपलोड करने की तिथि	23.01.2019 से 25.01.2019 तक
05	दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की तिथि	26.01.2019 से 01.02.2019 तक
06	दावा आपत्ति का निराकरण कर वनमण्डलों द्वारा पात्र उम्मीदवारों की सूची वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित करने की तिथि	02.02.2019 से 06.02.2019 तक
07	दावा आपत्ति निराकरण उपरांत पात्र उम्मीदवारों की अंतिम वरियता सूची अपलोड करने की तिथि	07.02.2019 से 11.02.2019 तक
08	मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु उम्मीदवारों को दिनांक एवं स्थान (सूचना पृथक से दी जावेगी) में उपस्थित होने की तिथि	18.02.2019 से 19.02.2019 तक
09	शारीरिक क्षमता एवं खेलकूद की तिथि एवं प्रमाण–पत्रों का सत्यापन	20.02.2019 से 23.02.2019 तक
10	पैदल चाल टेस्ट	24.02.2019
11	परीक्षा परिणाम+वर्गवार चयन सूची जारी करने की तिथि	25.02.2019 से 27.02.2019 तक
12	नियुक्ति आदेश जारी करने की तिथि	28.02.2019

अभ्यर्थीयों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त समय सीमा अनुमानित है। प्रत्येक कार्य हेतु वास्तविक समय सीमा निर्धारण समय–समय पर www.cgforest.com वेबसाईट पर दर्शाया जायेगा। अभ्यर्थीयों को पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।

वनमण्डलाधिकारी
मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल मनेन्द्रगढ़

सरगुजा वनवृत्त अंतर्गत वनरक्षक की सीधी भर्ती हेतु

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल मनेन्द्रगढ़,
झगराखांड रोड, मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (छ.ग.) 497442

(अ) पद जिसके लिये आवेदन दिया जा रहा है – **वनरक्षक**

(ब) वनमंडल, गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुन्ठपुर या एलीफेंट रिजर्व, सरगुजाका नाम जिसके लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत है – :.....

(1) आवेदक का नाम :.....

(2) पिता/पति का नाम :.....

(3) जन्मतिथि (अंको में) :.....
(शब्दो में) :.....

(4) दिनांक 01.01.2019 की स्थिति में आयु :**आयु** ..... **वर्ष**..... **माह**.....

(5) जाति वर्ग (अनारक्षित/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) :.....
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

(6) स्थाई पता :.....
.....
.....

(7) डाक व्यवहार का वर्तमान पता एवं फोन नम्बर :.....
.....
फोन/मोबा. नं. .....

(8) क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं? (हां/नहीं) :.....
(यदि हां तो प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

(9) लिंग (महिला/पुरूष) (⊕ चिन्ह लगायें)

पुरूष			महिला		
विवाहित	अविवाहित	विधुर	विवाहित	अविवाहित	विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा

(10) यदि आप विवाहित हैं तो विवाह की तिथि :.....

(11) जीवित बच्चों की संख्या एवं उनकी जन्मतिथियां :.....

(12) रोजगार कार्यालय का नाम :.....
पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक :.....

(13) शैक्षणिक योग्यता का विवरण –

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/वि.वि. /संस्था का नाम	कुल प्राप्तांक	कुल अंक	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8

(प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

(14) शारीरिक मापदण्ड –

1. शारीरिक प्रमाप	..... से.मी.
2. ऊंचाई	..... से.मी.
3. सीना	..... से.मी.
4. सीने का फुलाव	..... से.मी.

(15) कार्यानुभव –

क्र.	कार्य का नाम	कार्यालय का नाम	कार्यावधि
1	2	3	4

(16) वर्तमान तथा पूर्व शासकीय सेवा का विवरण :.....

(अ) नियोक्ता कार्यालय का नाम :.....

(ब) धारित पद का नाम एवं वेतनमान/मूलवेतन :.....

(स) कार्य अवधि :.....

(17) यदि अभ्यार्थी के विरूद्ध दण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाना/ न्यायालय में लंबित है अथवा न्यायालय से निराकृत हो चुका है ? यदि हां तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक तथा निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें– :.....

.....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैने विज्ञापित पद की पात्रता संबंधी शर्तो को पढ़ लिया है। इस आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है। कोई भी जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा एवं चयन के दौरान भी मेरी नियुक्ति बिना नोटिस के समाप्त की जा सकेगी।

दिनांक – .....

स्थान – .....

.....

(आवेदक के नाम व हस्ताक्षर)

संलग्न सहपत्रों का विवरण

(संलग्न किए गए सहपत्र पर ⊕ का निशान लगावें)

1. जिले का मूल निवासी होने का प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति – :.....

2. अनुसूसचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अ.पि. वर्ग के
   उम्मीदवारों का जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति – :.....

3. एन.सी.सी. सर्टिफिकेट की सत्यापित छायाप्रति – :.....

4. रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति – :.....

5. वनरक्षक के लिये शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र/हायर सेकण्डरी
   (10+2) की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति – :.....

6. हाई स्कूल की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति – :.....

7. खेलकूद में प्रवीण्यता सर्टिफिकेट की सत्यापित छायाप्रति – :.....

8. क्रिमीलेयर न होने संबंधी प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति – :.....

9. अन्य दस्तावेत का विवरण – :.....

.....

.....

(आवेदक के नाम व हस्ताक्षर)